# राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांकः–प06(3)गृह–7/2015

जयपुर, दिनांक 23 मई 2019

अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,
समस्त राजकीय लोक उपक्रम,
समस्त सम्भागीय आयुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष/
समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

विषयः–**गृह रक्षा स्वयं सेवकों का अस्थायी नियोजन बाबत्।**

महोदय,

वित्त (जीएण्डटी) विभाग के अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2013 के एस0ओ0 135 में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सुरक्षा व्यवस्था में राजस्थान होमगार्ड विभाग के लिये अनुमोदित दरों के अन्तर्गत बिना निविदा आमंत्रित किये होमगार्ड स्वयं सेवकों को नियोजित किये जाने का प्रावधान निर्धारित है । अतः सुरक्षा व्यवस्था हेतु गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन प्राथमिकता से करावें ।

इसके अतिरिक्त, गृह रक्षा स्वयं सेवकों को अधिक से अधिक नियोजन के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु आपसे अनुरोध है कि समस्त राजकीय विभाग/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों में पे मैट्रिक्स प्रणाली में एल–1 से एल–5 तक के रिक्त पदों को सामयिक व अस्थायी रूप से भरने के लिये जहां गृह रक्षा स्वयं सेवकों से कार्य करवाया जाना व्यावहारिक समझा जाता है वहां उनकी उपलब्धता हेतु उन जिलों के जिला कमाण्डेंट, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर योग्य व प्रशिक्षित गृह रक्षा स्वयं सेवक (पुरूष/महिला) की सेवाएं नियमानुसार एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन सुनिश्चित करावें।

इन स्वयं सेवकों की सेवाएं वर्तमान में प्रतिदिन 590/– रु ड्यूटी भत्ता व 20/– रु परिवहन भत्ते की दर पर उपलब्ध हैं ।

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही से महानिदेशक, गृह रक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर तथा इस कार्यालय को भी अवगत करावें, ताकि इस सम्बन्ध में आवश्यक समन्वय स्थापित किया जा सके ।

भवदीय

–Sd ह0/–

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देश प्रदान करने हेतु :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान
2. महानिदेशक, गृह रक्षा – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

–Sd ह0/–
अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह

.....................

# राजस्थान सरकार

## आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः–एफ–1( )प्रशा0/आकाशि/2019 14012

जयपुर,दिनांकः–19 जून 2019

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप–7) विभाग, शासन सचिवालय, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की डायरी संख्या 2509 दिनाक 31 मई 2019 के क्रम में प्रेषित है ।
3. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त परिपत्र के क्रम में, आपके महाविद्यालय में पे–मैट्रिक्स प्रणाली में एल–1 से एल–5 तक के रिक्त पदों को नियमानुसार सामयिक व अस्थायी रूप से भरने के लिये स्वीकृत पद एवं बजट प्रावधानुसार प्रस्ताव तैयार कर आपके यहां पदस्थापित लेखाकर्मी द्वारा इसकी जांच एवं परीक्षण करवाया जाकर आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।
6. आरक्षी पत्रावली ।

19/6/19

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा,राज0, जयपुर।